सार-समाचार

मकान में आग लगी, सामान जला

कोटा, (निसं)। कैथूनीपोल इलाके के मोखापाड़ा क्षेत्र में बुधवार देर रात्रि को एक मकान में अचानक से आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की उठती लपटों को देखकर लोगो ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मकान में आग की सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची लेकिन संकरी गलियों के कारण दमकल गाड़ी उस मकान तक नही पहुंच पाई जिस मकान में आग लगी हुई थी, बाद में दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की तत्परता से बाल्टियों, एक्सटिंगुडशर और होज पाईप की मदद से आग पर काबू पाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि मोखापाड़ा में स्थित काका-भतीजा मंदिर के समीप एक पुराने मकान में आग लगने की सूचना मिली। जिस पर दमकल की गाड़ी को मौके पर भेजा गया लेकिन गलियां सकरी होने के कारण दमकल की गाड़ी उस मकान तक नही पहुंच पाई जहां आग लगी हुई थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि दमकलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को बाहर ही खड़ा कर होज पाईप को अंदर तक ले जाया गया, इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चेन सिस्टम बनाकर बाल्टियों में पानी पहुंचाकर व एक्सटिंगुइशर की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक जिस कमरे में आग लगी थी उसका पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था, आग लगने का कोई कारण सामने नही आया है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की हुई मौत

कोटा, (निसं)। उद्योग नगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने कार्य पर जा रही स्कूटी सवार महिला को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार महिला करीब 5 फीट दूर जाकर गिरी और डिवाईडर से टकरा कर सड़क पर गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। उद्योग नगर थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इलाके के रायपुरा में पेट्रोल पम्प के समीप गत्ते से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए स्कूटी सवार महिला को पीछे से टक्कर मार दी। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका विज्ञान नगर निवासी सुनीता मीणा थी, जो जाखोड़ा पंचायत में एलडीसी के पद पर कार्यरत थी। महिला विज्ञान नगर घर से स्कूटी लेकर कार्य पर जाने के लिये निकली थी। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा। हादसे में घायल महिला को उपचार के लिये अस्पताल लाये, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मौके से ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त कर लिया है मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश जारी है।

किराने की दुकान पर चोरों ने सेंध मारी

कोटा, (निसं)। महावीर नगर इलाके में अज्ञात चोरों द्वारा एक किराने की दुकान की पीछे से दीवार को क्षतिग्रस्त कर अंदर घुसकर दुकान के गल्ले में रखे नकदी व अन्य कुछ सामानों को ले जाने का मामला सामने आया है। दुकान में चोरी की घटना का पता दुकान मालिक को गुरूवार को उस समय लगा जब वह दुकान पर पहुंचा, दुकान मालिक ने दुकान में चोरी की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान का मौका मुआयना किया। पुलिस ने दुकानदार की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार महावीर नगर इलाके में स्थित किराने की दुकान में अज्ञात चोर दुकान के पीछे की दीवार में एक बड़ा छेद करके अंदर घुसे और दुकान से सामान चोरी करके ले गये। महावीर नगर थानाधिकारी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि किराने के दुकानदार की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान से कुछ सामान चोरी करके ले गये, मामले में अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है।

लंदन द्वारा प्रकाशित पुस्तक में डॉ. सुमन शर्मा के लेख को स्थान

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय कोटा में कार्यरत प्रोफेसर डॉ. बी. बी. जैमिनि एवं प्रोफेसर डॉ. सुमन शर्मा के रासायनिक गतिकी समीकरणों पर आधारित शोध को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक एल्सवीयर की एकेडमिक प्रेस, लंदन से प्रकाशित पुस्तक एक्सटेंडेड हाइपर ज्यामितीय फलन एवं ऑर्थोगोनल पॉलिनॉमियल्स में स्थान मिला है। विश्व के दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल आनंद इंटरनेशनल कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, जयपुर के प्रोफेसर प्रवीण अग्रवाल एवं रोम इटली की इंटरनेशनल टेलीमैटिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लीमेंटे कैसरानो द्वारा संपादित इस पुस्तक का इसी महा जनवरी 2026 में प्रथम संस्करण आया है, पुस्तक में 17 अध्याय है जिसमें 15 वें अध्याय के रूप में गणित के प्रोफेसर जैमिनि एवं रसायन शास्त्र की प्रोफेसर सुमन शर्मा के साथ शोध छात्रा मीनू भी सहलेखक है। अध्याय में विभिन्न भिन्नात्मक गतिकी समीकरणों को लेप्लेस ट्रांसफॉर्म विधि से हल कर उनके सरल रूपों के गणित एवं रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अनुप्रयोगों को दर्शाया गया है।

वकीलों ने संगीतमय सुन्दरकांड पाठ किया

कोटा, (निसं)। श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर अदालत परिसर स्थित लाल चौक में अभिभाषक परिषद की ओर से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जिसमें भजन मंडली द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कोटा अभिभाषक परिषद महासचिव शंभू सोनी ने बताया कि अयोध्या में आज ही के दिन भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस उपलक्ष में हर वर्ष अदालत में 22 जनवरी को सुंदरकांड सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है, उसी क्रम में दो वर्ष पूरे होने पर गुरूवार को संगीतमय सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन मंडली द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया, साथ ही लोगों के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था की गई। सुंदरकांड पाठ में अभिभाषक के अध्यक्ष भरत सिंह अडसेला सहित अन्य पदाधिकारी व काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे।

अवैध मादक पदार्थ सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ चरस सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करो की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान ऑपरेशन गरूड्व्यूह चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कुमार ने मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान एक व्यक्ति पर संदेह होने पर डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ 120 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए कोटडी निवासी इदरिश (27) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

सिन्धी संस्कृति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 6 वक्ताओं ने अपने शोध पेपर पेश किए

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय सिन्धी भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार व सिन्धु अध्ययन शोध पीठ, कोटा विश्वविद्यालय एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में छह वक्ताओं ने अपने शोध पेपर प्रस्तुत किए। दो तकनीकी सत्र हुए पहले की अध्यक्षता अजमेर की डॉ. कमला गोकलानी ने की जिसमें लेखक किशन रतनानी, राष्ट्रीय सिन्धी भाषा विकास परिषद के सदस्य इंदौर के मनीष देवनानी ने और दूसरे सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली के डॉ. रवि प्रकाश टेकचंदानी ने की जिसमें प्रकाश वीर नाथानी, सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर अलरेजा ने शोध पेपर प्रस्तुत किया। इनका स्वागत सिंधु शोध पीठ के समन्वयक प्रो पी सी गुप्ता ने किया।

गोपाल सपरा माई रोटरी में चेयरमैन बने

कोटा, (निसं)। कोटा के समाजसेवी और रोटरी के वरिष्ठ सदस्य पूर्व उपप्रांतपाल गोपाल सपरा का रोटरी अंतरराष्ट्रीय की महत्वपूर्ण समिति ष्माई रोटरीष में चेयरमैन के पद पर मनौनयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि रोटरी अंतरराष्ट्रीय के प्रांत 3056, जिसमें राजस्थान के 88 क्लब जिससे करीब चार हजार सदस्य जुड़े है। इस तरह की जिम्मेदारी किसी कोटा के नागरिक को मिलना बढ़ी उपलब्धि है।

शिक्षा विभाग का मेगा पीटीएम आज

कोटा, (निसं)। शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा जिले में मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता से शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक सुधार सुनिश्चित करना है।

आधुनिक भारतीय भाषा में सिंधी भाषा संस्कृत के सर्वाधिक निकट : राज्यपाल

कोटा, (निसं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है और सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। देश में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें संस्कृत भाषा के शब्द आते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा में सिंधी भाषा संस्कृत के सर्वाधिक निकट है। इसके 70 प्रतिशत शब्द संस्कृत भाषा से मिलते हैं। बागडे ने कहा कि भारत भाषा की विविधता और संस्कृति की सुगंध के कारण विश्व के श्रेष्ठ देशों में शामिल है। भाषाओं की विविधता में एकता की डोर से हम सभी देशवासी बंधे हुए हैं।

कोटा में सिंधी संस्कृति, अध्ययन एवं परम्परा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने संबोधित किया।

- 'युवा पीढ़ी सिंधी भाषा, संस्कृति और परम्पराओं को व्यवहार में जीवित रखे'
- सिंधी संस्कृति, अध्ययन एवं परम्परा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

बागडे गुरुवार को कोटा विश्वविद्यालय के नागार्जुन सभागार में सिंधी संस्कृति, अध्ययन एवं परम्परा विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद एवं सिंधु अध्ययन शोध पीठ, कोटा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

राज्यपाल ने कहा कि विश्व की तीन शुरुआती सभ्यताओं मिश्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में से सिंधु घाटी की सभ्यता व्यापक थी। वहां जो शहर थे वे परिष्कृत थे और उन्नति के उच्च स्तर को प्रदर्शित करते थे। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में रही है। उन्होंने कहा कि सिंधी सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन पर आयोजित इस संगोष्ठी के माध्यम से आमजन को सिंधी भाषा, संस्कृति एवं उनकी समृद्ध परम्पराओं के बारे में जानकारी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सिंधी संस्कृति जितनी समृद्ध है उतनी ही व्यापारिक कुशलता हमारे सिंधी समाज के लोगों में है जिन्होंने देश विभाजन के समय अपना सब कुछ छोड़कर हिन्दुस्तान को अपनाया और यहां आकर कड़ी मेहनत के बल पर आज व्यापार जगत में अच्छा नाम कमाया है। बागडे ने कहा कि सिंधी समाज के अध्यात्मिक गुरुओं ने समाज को संगठित करने के साथ ही सिंधी संस्कृति की समृद्ध परम्पराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संत कंवरराम मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। साधु वासवानी महान संत हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया। राज्यपाल ने भारतीय शिक्षा पद्धति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत का ज्ञान का सूर्य युगों से दैदिप्तमान रहा है। 1835 से पहले भारत एक समृद्ध राष्ट्र था। यहां के लोगों की नैतिकता, ईमानदारी और एक-दूसरे को सहयोग करने की इच्छा शक्ति के कारण अंग्रेज भारत को गुलाम नहीं पा रहे थे।

भारतीयों के नैतिक मूल्यों से अंग्रेजों को भय था, भारत को गुलाम बनाने के लिए 1835 में लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लेकर आया और यहां के गुरुकुल बंद करा दिए। भारतीयों को भूखमरी की ओर धकेलने के लिए अंग्रेजों ने घरेलू उद्योग धंधे बंद करा दिए। यहां का कपास वहां ले जाकर तैयार कपडा भारत में बेचकर देश को गरीबी की ओर धकेला। इसलिए उन्होंने शिक्षा पद्धति में बदलाव कर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संगोष्ठी में हिंदी के साथ ही सिंधी भाषा में अपने विचार रखते हुए कहा कि 19वीं शताब्दी के विद्वान डॉ. अर्नेस्ट ट्रम्प ने लिखा था कि सिंधी भाषा संस्कृत की शुद्धतम संतान है जिसमें विदेशी तत्व न्यूनतम है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। यह हमारी पहचान का प्रमाण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी धरोहर है। सिंधी भाषा की समृद्धि और उसकी मधुरता अद्वितीय है। उन्होंने आव्हान किया कि प्रत्येक सिंधी परिवार एक संकल्प ले कि घरों में प्रतिदिन आधा घण्टा केवल सिंधी भाषा में बात होगी।

उन्होंने कहा कि भारत में अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग भाषाएं हैं। उनमें सिंधी भाषा का भी एक विशिष्ट स्थान है। सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरे शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में सिंधी समाज के संतों के पाठ को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था। देश की आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले महान बलिदानी हेमू कालानी का पाठ भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था। देवनानी ने कहा कि अजमेर की प्रसिद्ध फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा जाएगा। संगोष्ठी में कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थापित सिंधु अध्ययन शोध पीठ के माध्यम से सिंधी भाषा, संस्कृति एवं समृद्ध परम्पराओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। यह शोध पीठ सिंधु सभ्यता के बारे में जानने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। इस अवसर पर राज्यपाल बागडे को प्रो. रवि टेक चन्दानी ने अपनी पुस्तकों सरयू से सिंधु और सिंधी की लोकप्रिय कहानिया भेंट की। किशन रत्नानी ने अपनी दो पुस्तकें तुलसी और अम्मा की पोटला भेंट की। संगोष्ठी में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की कुलगुरु प्रो. विमला डुंकवाल, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के सदस्य मनीष देवनानी, कोटा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजपाल सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे।

लापता कोचिंग छात्र को दस्तयाब किया

कोटा, (निसं)। कुन्हाडी थाना इलाके से लापता हुए कोचिंग छात्र को पुलिस टीम ने दिल्ली से दस्तयाब किया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 21 जनवरी को लापता कोंचिग छात्र की मां ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 20 जनवरी की रात्रि को उसका बेटा नीलम शर्मा बिना बताये कहीं चला गया है। शहर एसपी ने बताया कि छात्र के मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में छात्र की तलाश के लिये पुलिस उप अधीक्षक डॉ.पूनम के सुपरविजन में कुन्हाडी थानाधिकारी कौशल्या गालव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। कि छात्र की तलाश के लिये पुलिस टीमों को रवाना किया गया। शहर एसपी ने बताया कि लापता छात्र की लोकेशन कशमीरी गेट नई दिल्ली में होने का पता चलने पर टीम को दिल्ली भेजा गया और कोचिंग छात्र नीलम शर्मा को नई दिल्ली से डिटेन कर दस्तयाब कर नियमानुसार कार्यवाही कर परिजनों को सुपुर्द किया।

कलश यात्रा में महिलाओं का सैलाब उमड़ा

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में 22 जनवरी गुरुवार को पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पूर्व निकली कलश यात्रा में महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कलश यात्रा के चलते शहर के सभी मार्ग लगभग जाम रहे। वहीं शाम को श्री राम आरती के साथ भाव दीपोत्सव शुरू हुआ। जिसमें 51000 से अधिक दीप जलने के साथ ही खैराबाद का मेला ग्राउंड जगमगा उठा।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के फर्टिलाइजर संयंत्र को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के फर्टिलाइजर संयंत्र को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया।

कोटा, (निसं)। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के फर्टिलाइजर संयंत्र को राजस्थान सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार 20 जनवरी को कोन्सिट्यूशनल क्लब, जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदान किया।

समारोह में अक्षय ऊर्जा निगम के अजिताभ शर्मा, अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग भी उपस्थित थे। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की ओर से यह पुरस्कार सहायक उपाध्यक्ष, दिनेश प्रसाद भट्ट एवं अतिरिक्त महाप्रबंधक, रत्नाकर मनगटे ने ग्रहण किया। इस शानदार प्रदर्शन और उपलब्धि पर फर्टिलाईजर समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अश्विनी कौल ने अत्यन्त हर्ष व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई दी।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एवं रेजिडेन्ट हैड, वीनू मेहता ने भी इस गौरवपूर्ण सफलता को हासिल करने पर सभी को बधाई दी।

स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

छबड़ा (निसं)। नगर में पालिका प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का व्यापक असर दिख रहा है। गुरुवार को ईओ के नेतृत्व में धरनावदा चौराहा के निकट 100 फिट रोड पर सड़क किनारे हो रहे स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पालिका कर्मी मौजूद थे। कार्यवाही से अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया।

ईओ संदीप गहलोत के अनुसार 100 फिट रोड पर दुकानदारों द्वारा सड़क कर स्थाई व अस्थाई कर रखा था, जिसके कारण रोड संकरा होने के कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। जिसके मद्देनजर यहां हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया यया। उन्होंने आमजन, दुकानदार को हिदायत देते हुए कहा कि सड़क किनारे स्थाई व अस्थाई रूप से अतिक्रमण करने वालो के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। पालिका प्रशासन का यह अभियान आगे भी निरन्तर जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि पालिका प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध भी देखने को मिल रहा है और नाराजगी के स्वर भी उठने लगे हैं।

राज्य स्तरीय समारोह में जुड़ेंगे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बच्चों को आशीर्वचन देंगे

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि

रामगंजमंडी, (निसं)। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री 22 जनवरी गुरुवार को रामगंजमंडी पहुंच गए। शास्त्री का विश्राम मोड़क गांव स्थित चार धाम में रहेगा।

23 जनवरी को प्रातः 11 बजे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री रामगंज मंडी नगर पधारेंगे। यहां साबू क्रीडांगन मैदान में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों और उनके अभिभावकों को आशीर्वचन देंगे।

कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।

राज्य सरकार के मेगा पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग का राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा। जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री तथा आचार्य धीरेंद्र शास्त्री रामगंजमंडी के साबू क्रीडांगन मैदान से मुख्य राज्य स्तरीय समारोह से लाइव जुड़ेंगे।

खोया पाया

गुलशन बानो पुत्री इश्हाक मोहम्मद 3-झ-44 विज्ञान नगर कोटा का डिक्लेरेशन अनुज्ञा पत्र और इन्वेंटरी पत्र गुम हो गये है किसी को मिलने पर सूचित करें।

टेस्ट देकर करें रिवीजन, दूर होगा एग्जाम का डर

- सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मोशन एजुकेशन ने लॉन्च ब्रह्मास्त्र किया

कोटा, (निसं)। सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में अब तीन सप्ताह कम समय बचा है। ऐसे में छात्र-छात्राएं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मोशन एजुकेशन ने सीबीएसई क्लास टेंथ फाइनल ब्लू प्रिंट-2026 नाम से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिससे स्टूडेंट्स घर बैठे प्रभावी रिवीजन कर सकें।

मोशन एजुकेशन के फाउंडर और एजुकेटर नितिन विजय ने गुरुवार को ध्रुव कैंपस में इस ब्लू प्रिंट का लोकार्पण किया। मोशन एजुकेशन फाउंडेशन डिवीजन के विषय विशेषज्ञों ने सीबीएसई के नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। इसके साथ आंसर-की और विस्तृत सॉल्यूशन बुकलेट भी दी गई है, ताकि छात्र अपनी गलतियों को समझकर सुधार कर सकें।

499 रुपये की इस बुकलेट को कक्षा 9वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्मेट में और 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को हार्डकॉपी में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मोशन एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर कूपन कोड-का उपयोग किया जा सकता है। नितिन विजय ने बताया कि सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं।

लाखों छात्र तैयारी में जुटे हैं, लेकिन कई के मन में यह चिंता रहती है कि उन्होंने कितना पढ़ा है और परीक्षा में कितना याद रहेगा। ऐसे में मॉक टेस्ट सबसे कारगर तरीका है। उन्होंने कहा- अब नया पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि जो पढ़ा है उसे सही तरीके से दोहराने का समय है।

टाइम लिमिट में टेस्ट देने से छात्रों को असली परीक्षा जैसा अनुभव मिलेगा और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। इससे कमजोर टॉपिक्स की पहचान होगी और उन पर फोकस किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को तनाव से बचने की सलाह दी।

पढ़ाई के बीच 10-15 मिनट का ब्रेक लें, हल्की स्ट्रेचिंग करें, संतुलित भोजन करें और पूरी नींद लें। इससे दिमाग तरोताजा रहेगा और तैयारी ज्यादा प्रभावी होगी।

क्रेशर संचालकों द्वारा किए जा रहे अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीण पलायन को मजबूर

छबड़ा (निसं)। बापचा क्षेत्र में बिना विस्फोटक लाइसेंस के धड़ल्ले व खुलेआम बिना लीज के हो रहे अवैध खनन को लेकर पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट दिग्विजय सिंह गुर्जर ने एसडीएम को जिला कलेक्टर व सतर्कता आयुक्त जयपुर, निदेशक खान एवं भूविज्ञान उदयपुर के नाम का ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन पर रोक लगाने और अवैध खननकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने व अवैध खनन पर ड्रोन से नजर सर्वे व चौकी स्थापित करने की मांग की।

क्रेशर संचालकों द्वारा किए जा रहे अवैध ब्लास्टिंग को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।

पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सिंह, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हरीश माहेश्वरी, बापचा प्रशासक (सरपंच) महेंद्र गुर्जर एवं एडवोकेट हेमंत पारिक के अनुसार उपखण्ड अधिकारी रामसिंह गुर्जर को दिए ज्ञापन में बताया कि गांव, आबादी बस्ती, प्राथमिक स्कूल, आश्रम बस्ती व हाई सैकेण्ड्री स्कूल बापचा, बैथली डेम के निकटतम क्रेशर संचालको द्वारा नियम विरुद्ध किए जा रहे अवैध खनन के लिए हेवी डीप (भारी गहरी) ब्लास्टिंग से आमजन, स्कूली बच्चे, राहगीरों को आशकिंत जोखिम भरे खतरे से जान माल का खतरा बना हुआ है। क्रेशर संचालकों द्वारा अवैध खनन करने से कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। अवैध खनन व हेवी डीप ब्लास्टिंग से कई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो चुके है तथा कई बीमारियों के शिकार तक हो चुके है। व्यापक रूप से फैल रहे प्रदूषण से लोग पलायन होने को मजबूर है। अवैध खनन से राजकीय सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है। अवैध खनन से हुए गढ्ढो मे डूबने से कई लोग असमय ही काल कवलित हो चुके हैं।

ज्ञापन में कहा कि भाजपा के राजनैतिक प्रभावशाली लोगों द्वारा सांठ गांठ कर अवैध खनन के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। जिनका मौके पर भौतिक रूप से सत्यापन किया जाए व निष्पक्ष एव स्पष्ट जांच की जाए। वही इनके द्वारा अवैध खनन कर अनाधिकृत रूप से फ्लाईएश की राख से गड्ढो को अवैध रूप से भरा जा रहा है, जिससे भूमि बंजर व क्षेत्र मे प्रदूषण फैल रहा है।

सैकड़ों परिवारों को विस्थापन का खतरा:- वर्तमान मे पीपलखेड़ी स्कूल के निकट व पीपलखेड़ी से कडैयाहाट रोड के पास अवैध खनन धडल्ले से चल रहा है, जिसे जल्द ही रुकवाया जाए। अवैध खनन से प्राकृतिक धरोहर नष्ट होने के साथ साथ पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को विस्थापन का खतरा है। अगर जल्द ही शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रभावित ग्रामीणो द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन देने के दौरान एडवोकेट सतीश बंसल, नन्दकिशोर मीना, दीपक त्यागी, कपिल शर्मा, अमरसिंह मीना एडवोकेट, कमल मीना एडवोकेट, मधुसूदन श्रीवास्तव, मनीष नागर आदि मौजूद थे।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/1987 **विज्ञप्ति** दिनांक : 22.1.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना ''आदित्य नगर'' खसरा नं. 151 में स्थित भूखण्ड संख्या 34 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री नजर अली पुत्र श्री मोहम्मद अली निवासी 38/38, अनुपम कोलोनी, बी.एस.एन.एल, पुलिस लाईन, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड संख्या 34 का पट्टा क्रमांक 1504 दिनांक 31.03.2013 को श्रीमती शमीम बानो पत्नि श्री नजर अली के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 17-05-2020 को हो चुकी हैं। पट्टेधारी की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा रजि. रिलिज डीड दिनांक 11-08-2025, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तांतरण चाहा गया हैं।

अतः श्री नजर अली पुत्र श्री मोहम्मद अली के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3157 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-23.8.24

आवास संख्या 1-र-14 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा पुत्र श्री मेहताब सिंह खण्डूजा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा पुत्र श्री मेहताब सिंह खण्डूजा द्वारा दिनांक 23.09.1980 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा पुत्र श्री मेहताब सिंह खण्डूजा की मृत्यु दिनांक 02.12.1993 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री तरविन्दर सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा, कुमारी मनमीत कौर एवं कुमारी पवन दीप कौर पुत्रियां स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये स्वत्य परित्याग पत्र आलेखित कर दिनांक 21.09.2002 को श्रीमती ज्ञान कौर खण्डूजा पत्नी स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा के पक्ष में किया गया। श्रीमती ज्ञान कौर खण्डूजा पत्नी स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा का नाम दिनांक 06.07.2010 को स्वत्व परित्याग पत्र के आधार पर उक्त आवास का हस्तांतरण किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती ज्ञान कौर खण्डूजा पत्नी स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह खण्डूजा द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 08.02.2024 को श्री आकाश बंसल पुत्र श्री कमल किशोर बंसल को किया गया। श्री आकाश बंसल पुत्र श्री कमल किशोर बंसल इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-र-14 विज्ञान नगर, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री आकाश बंसल पुत्र श्री कमल किशोर बंसल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री आकाश बंसल पुत्र श्री कमल किशोर बंसल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री आकाश बंसल पुत्र श्री कमल किशोर बंसल के नाम दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल के. पाटन जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक-4290-92 प्रारूप-10 (नियम 6(7) देखिये) दिनांक-22.1.2026

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका के.पाटन

लोक सूचना

श्री महावीर आ. रामा जाति मेघवाल निवासी ग्राम डगलावदा पोस्ट बाजड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषित प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
के.पाटन जिला बून्दी	के.पाटन	1200 रकबा 0.56 हैक्टर	केशवराय पाटन

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.1.26 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के.पाटन

कार्यालय नगर पालिका मण्डल के. पाटन जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक-4295-97 प्रारूप-10 (नियम 6(7) देखिये) दिनांक-22.1.2026

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका के.पाटन

लोक सूचना

मुल खातेदार श्री सादिक अली आ. बदरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी बोहरा मोहल्ला, बून्दी तहसील व जिला बून्दी (राज.) जरिये रजिस्टर्ड मुख्तार आम अकबर अली पुत्र फिदा हुसैन निवासी फाखरी मेंशन, दीनदयाल पार्क के पास टिपटा कोटा राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषित प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
के.पाटन जिला बून्दी	के.पाटन	466 रकबा 0.71 हैक्टर	केशवराय पाटन

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.1.26 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के.पाटन